संख्या- /2026/ /003-E-1858326

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2026

विषय:- आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 05 नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गए द्वितीय किश्त के प्रस्ताव / उपयोगिता प्रमाण पत्र के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू० 435.0569 लाख (रु. चार करोड़ पैंतीस लाख पांच हजार छः सौ नब्बे मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- IT/103/आकांक्षी नगर योजना दिनांक 12-03-2026 तथा पत्र संख्या- IT/101/आकांक्षी नगर योजना दिनांक 12-03-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कुल 05 नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गए द्वितीय किश्त के प्रस्ताव / उपयोगिता प्रमाण पत्र के सापेक्ष द्वितीय किश्त की कुल धनराशि **रू० 435.0569 लाख (रु. चार करोड़ पैंतीस लाख पांच हजार छः सौ नब्बे मात्र)** अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या- I/1049830/2025 दिनांक 06.08.2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" मद में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 100.00 करोड के सापेक्ष निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा किये गए अनुरोध के क्रम में रू0 110.8315 करोड़ (रूपये एक सौ दस करोड़ तेरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 55.4181 करोड़ (रूपये पचपन करोड़ इकतालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) अवमुक्त की गयी थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" मद में प्रावधानित कुल धनराशि रू0 100.00 करोड (रुपये सौ करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में उल्लिखित 05 निकायों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -8 में उल्लिखित धनराशि कुल **रू० 435.0569 लाख (रु. चार करोड़ पैंतीस लाख पांच हजार छः सौ नब्बे मात्र)** ***को द्वितीय किश्त के रूप में*** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0सं0	जिला	नगर पंचायत	कार्य का नाम	वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति (लाख में) जीएसटी+A&OI +I.E.C सहित	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि (लाख में)	निविदा की धनराशि (लाख में)	द्वितीय किश्त हेतु प्रस्तावित धनराशि (लाख में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8(7-6)	9
1	बस्ती	कप्तानगंज	1-वार्ड नं0.1 अम्बेडकरनगर में बढ़या पिच माग से प्रा०वि० बढ़या तक सी०सी0 सड़क निर्माण कार्य। 2-वार्ड नं0.06 अटल नगर (राजाजोत कलाद) में सी०सी0 रोड से राजाजोत प्रा०विव होते हुए मटिहनीया पिच मार्ग तक सी०सी० सड़क व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	387.39	193.69	385.26	191.57	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है। अत: इसको निविदा की धनराशि के अनरूप

			3-वार्ड नं0.06 अटल नगर ;कुसमौरद्ध में प्रा०विव कुसमौर से एम सी सी स्कल के पहले तक सी०सी0 सड़क निर्माण कार्य। 4- वार्ड नं0 7 पं दीन दयाल नगर में पंडुल रोड पर काली माता मंदिर के बगल पटरी ब्यवसायियों को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु हाट बाजार का विकास कार्य। 5-वार्ड नं0.9 गौतमबुद्ध नगर (हरीयरपुर) में प्रा०वि० हरीयरपुर पिच मार्ग से शशिकान्त के मकान तक सी०सी0 सड़क निर्माण कार्य। 6-वार्ड नं0.10 आदिशक्ति नगर में टिनिच मार्ग शिवपूजन वर्मा के मकान से कार्यालय भवन के आगे तक नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य। 7-वार्ड नं0.12 मंगल पांडे नगर में पूर्व मा०विव हरीयरपुर के पहले पिच मार्ग से स्व0 विजेन्द्र सोनी के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। 8-वार्ड नं0.15 चन्द्र शेखर आजाद नगर में नगर मार्ग से प्रा०वि0 कप्तानगंज तक सी०सी०सड़क व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य। 9-वार्ड नं0.14 भगत सिंह नगर कप्तानगंज एन०एच0.28 से कम्पोजिट विद्यालय महुवा मिश्र तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य। 10-वार्ड नं0.01 अम्बेडकर नगर में बड़या पिच मार्ग से प्रा0 वि० बढ़या तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य। 11-वार्ड नं.06 अटल नगर (राजाजोत कला) में सी०सी0 रोड से राजाजोत प्रा०वि० होते हुए मटिहनीय पिच मार्ग तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य। 12-वार्ड नं०.06 अटल नगर (कुसमौर) में प्रा०वि० कुसमौर से एसी० स्कूल के पहले तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य 13-वार्ड नं0.7 पं०दीनदयाल नगर में पंडुल रोड पर काली माता मंदिर के बगल पटरी व्यवसायियों को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु हाट					घटाते हुये रू0 191.57लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			बाजार का स्ट्रींट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य।					
			14-वार्ड नं0.9 गौतम बुद्ध नगर (हरीयरपुरद्) में प्रा०विव हरीयरपुर पिच मार्ग से शशिकांत के मकान तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य।					
			15-वार्ड नं0.10 आदिशक्ति नगर में टिनिच मार्ग शिवपूजन वर्मा के मकान से कार्यालय भवन के आगे तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य।					
			16-वार्ड नं0.12 मंगल पांडे नगर में पूर्व मा०वि0 हरीयरपुर के पहले पिच मार्ग से स्व0 विजेन्द्र सोनी के मकान तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य।					
			17-वार्ड नं0.15 चन्द्र शेखर आजाद नगर में नगर मार्ग से प्रा०वि0 कप्तानगंज तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य।					
			18-प्राथमिक विद्यालय मदनपुरा पहुच मार्ग पर स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य।					
			19-प्राथमिक विद्यालय ककुआरावत पहुँच मार्ग पर स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य।					
			20-प्राथमिक विद्यालय भरथापुर पहुंच मार्ग पर स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य।					
			21-प्राथमिक विद्यालय नकटीदेई पहुँच मार्ग पर स्ट्रीट लाइट मयपोल का स्थापना कार्य।					
			22-उच्च प्राथमिक विद्यालय कप्तानगंज पहुच मार्ग पर स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य।					
			23-प्राथमिक विद्यालय रतासी पहुच मार्ग पर स्ट्रीट लाइट मयपोल का स्थापना कार्य।					
			24-वार्ड नं0द्ध.07 दीनदयाल नगर में एम्सी०सी0 इंटर कालेज से पू मा0 विव कुसमौर तक सी०सी0 सड़क निर्माण कार्य।					
			25-वार्ड नं0.02 लोहिया नगर में थाना मार्ग काली मंदिर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।					
			26-वार्ड नं0.10 आदि शक्ति नगर में मिनी स्टेडियम से आदर्श प्रा०विव					

			नकटीदेई तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य । 27-वार्ड नं.07 में जसईपुर राजाजोत से नगर पंचायत के कल्याण मंडप तक आर०सी०सी0 नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य। 28-वार्ड नंव.07 दीनदयाल नगर में एम सी०सी0 इण्टर कालेज से पूर्व मा०वि० कुसमोर पहुँच माग पर एल०ई०डी० लाइट मयपोल सहित अवस्थापना का कार्य। 29-वार्ड नं0.02 लोहिया नगर में थाना मार्ग से माँ काली मंदिर पहुच मार्ग पर एल०ई०डी० लाइट मयपोल सहित अवस्थापना का कार्य। 30-वार्ड नं०.10 आदि शक्ति नगर में मिनी स्टेडियम से आदर्श प्रा0 विव नकटीदेई पहुच मार्ग पर एल०ई०डी0 लाइट मय पोल सहित अवस्थापना का कार्य। 31-वार्ड नं०.7 में जसईपुर राजाजोत से नगर पंचायत के कल्याण मंडप पहुंच मार्ग पर एल०ई०डी० लाइट मय पोल सहित अवस्थापना का कार्य 32-नगर पंचायत कप्तानगंज बस्ती के विभिन्न चौराहों/ सार्वजनिक स्थानों प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य					
2	प्रतापगढ़	रामगंज	1-वार्ड नम्बर-10 रामगंज कोट सी०सी० रोड से स्वास्थ केन्द्र तक इण्टरलाकिंग कार्य। 2-वार्ड नम्बर.02 नचरौला नहर से कंपोजिट विद्यालय तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 3-वार्ड नम्बर.02 नवरौला सी०सी० रोड से प्रा० वि० नचरौला तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 4-वार्ड नम्बर.10 रामगंज कोट पक्की सडक से लाँची धाम मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 5-वार्ड नम्बर.10 रामगंज बाजार में स्वास्थ केन्द्रए प्रा०वि० रामगज तक स्ट्रीट लाइट विध पोल। 6-वार्ड नम्बर.12 रामगंज बाजार पक्की सड़क से पशु चिकित्सालय तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 7-वार्ड नम्बर.03 सैलखा पक्की सड़क से शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	163.14	81.57	162.917	81.347	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है। अत: इसको निविदा की धनराशि के अनरूप घटाते हुये रू0 81.347लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			8-वार्ड नम्बर.08 बरचीली काली सडक से महाकाली मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 9-वार्ड नम्बर.06 कृष्णानगर में सड़क से स्वाथ्य केन्द्र तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 10-वार्ड नम्बर.11 द्वारिकानगर में पक्की सड़क से प्रा०वि० नचरौली तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 11-वार्ड नम्बर.09 श्यामनगर में पक्की सडक से रामजानकी मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 12-वार्ड नम्बर 13 सुजानपट्टी में पक्की सडक से प्रा० वि० बीबीपुर मुस्तर्का तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 13-वार्ड नम्बर.02 नचरौला पक्की सडक से वैष्णोदेवी मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 14-वार्ड नम्बर.06 पक्की सड़क से रामसहाय मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 15-वार्ड नम्बर.02 नचरौला पक्की सड़क से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 16-वार्ड नम्बर.04 संग्रामगंज पक्की सड़क से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 17-नगर पंचायत रामगंज सीमान्तर्गत विभिन्न वार्डों में सीसी टीवी कैमरा की स्थापना कराये जाने हेतु कार्य					
3	बस्ती	गायघाट	1वार्ड 05 पं0 दीनदयालनगर मे बेड़ारी मार्ग इण्टरलॉकिग से एम0आर0एफ0 सेंटर तक सी0सी0 कार्य। 2-वार्ड 10 महर्षि वसावननगर गाना में गणेश मंदिर से पू0मा0वि0गाना तक सी0सी0 निर्माण कार्य। 3वार्ड 04 अटल नगर पियारेपुर में बेड़ारी मार्ग से संविलियन विद्यालय पियारेपुर तक 90 वॉट एल0इ0डी0 लाइट विथ 7 मी0 पोल की आपूर्ति व स्थापना कार्य। 4-वार्ड न0 5 दीनदयाल नगर में बेराड़ी मार्ग इण्टरलॉकिंग सड़क से एम0आर0एफ0 सेंटर तक	172.02	86.01	171.65	85.64	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है। अतः इसको निविदा की धनराशि के अनरूप घटाते हुये रू0 85.64 लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			एल0ई0डी0 लाईट मय पोल सहित अवस्थापना कार्य। 5-वार्ड न0 10 महर्षि बसावन नगर में गणेश मंदिर से पू0मा0वि0 गाना तकएल0ई0डी0 लाईट मय पोल सहित अवस्थापना कार्य। 6-नगर पंचायत गायघाट में सी०सी०टी०वी० कैमरा अधिष्ठापन कार्य					
4	उन्नाव	सफीपुर	1-नगर पंचायत सफीपुर के वार्ड नं0-12 में परियर रोड से महादेव मंदिर तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण का कार्य। 2-नगर पंचायत सफीपुर के वार्ड नं0-1 में मौलाने दादा की मजार से कन्या जूनियर हाईस्कूल तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण का कार्य। 3-नगर पंचायत सफीपुर के वार्ड नं0-2 में सईद के घर से प्राइमरी स्कूल तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण का कार्य। 4-नगर पंचायत सफीपुर के वार्ड नं0-8 में बाल नरायण मिश्रा के घर से फूलमती मंदिर तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण का कार्य। 5-नगर पंचायत सफीपुर के वार्ड नं0-11 में मोटेश्वर महादेव मंदिर से चैमुखी मंदिर तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण का कार्य। 6-72 से 90 वॉट एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइन (एम.आर.एफ. सेन्टर, एस.डब्ल्यू.एम.) प्लांट एवं वेट वेस्ट प्लांट हेतु।	63.9	31.95	63.72.993	31.77993	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है। अत: इसको निविदा की धनराशि के अनरूप घटाते हुये रू0 31.77993 लाख द्वितीय किश्त में देय है।
5	प्रतापगढ़	हीरागंज	1-नगर पंचायत हीरागंज बाजार में अर्बन हाट का निर्माण कार्य। 2-वार्ड सं0 03 अम्बेडकर नगर में पक्की सड़क से प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। 3-वार्ड सं0 6 गोगहर में पक्की सड़क से प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। 4-वार्ड सं0 14 फतेहनगर में पक्की सड़क से प्राथमिक विद्यालय हीरागंज तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। 5-वार्ड सं0 10 शहीद सुभाष नगर में पक्की सड़क से प्राथमिक विद्यालय	89.43	44.71	89.43	44.72	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के बराबर है। अत: रू0 44.72 लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			काजीपुर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। 6-निकाय सीमान्तर्गत मुख्य मार्गों से सरकारी विद्यालयों व स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँच को सुगम व सुरक्षित बनाने हेतु स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन कार्य। 100 नग 7-नगर पंचायत हीरागंज बाजार के चेराहों पर सी0सी0टी0वी0 वायरलेस कैमरा अधिष्ठापन कार्य					
कुल धनराशि (लाख में)				875.53	437.93	872.99	435.0569	

(रु. चार करोड़ पैंतीस लाख पांच हजार छः सौ नब्बे मात्र)

(1) उक्त निर्गत की जाने वाली धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
(2)इस संबंध में शासनादेश संख्या-396710/नौ-4-2023-कम्प्यूटर नं0 1745384, दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से आकांक्षी नगर योजना की गाइड लाइन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त धनराशि संबंधित निकाय (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
(3)अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही कार्यों हेतु व्यय की जायेगी ।
(4)धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(5)प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
(6)धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(7)प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भकिये जाये।
(8)कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
(9)प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाय। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
(10)कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड" पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
(11)कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू०सी०) प्रेषित करने से पूर्व कार्यों का भौतिक सत्यापन अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एवं एक प्रशासनिक अधिकारी समिति से कराते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
(12)लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
(13)कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकायों के अधिशासी अधिकारी का होगा।
(14)इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
(15)प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निकाय द्वारा नये एस०ओ०आर० के अनुसार आगणन का गठन कराते हुये उक्त आगणन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित (सी०एस०) कराया जायेगा।
(16)प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाय। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
(17)संबंधित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/ कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति (डूप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
(18)कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
(19)व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज कोसमयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा ।
(20)इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य / वरिष्ठ

लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का(विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(21)इस सम्बन्ध में लघु सूक्ष्म एवं माध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(22)स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23)निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा द्वारा 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 30 जून, 2021 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1124/ नौ-9-2025-45ज/2021-ई-1749112दिनांक 04 जून, 2025 द्वारा नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यों को कराये जाने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।

(25)इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या- I/1049830/2025 दिनांक 06.08.2025 में उल्लिखित शर्तो/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,35,05,690 (रुपये चार करोड़ पैंतीस लाख पाँच हजार छह सौ नब्बे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217808001200 आकांक्षी नगर योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
UDAI BHANU TRIPATHI
Date: 20-03-2026
14:36:49

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव

<u>संख्या- ~~/2026/~~ /003-E-1858326, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
7. संबंधित जिलाधिकारी।
8. संबंधित अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश, (निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के माध्यम से) ।
9. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ ।
10. सहायक निदेशक (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त। (आय-व्ययक) ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन ।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव